भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1466
दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

खुले में शौच से मुक्त गांव

1466. श्री कपिल सिब्बलः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई ग्रामों और शहरों को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/खंड/गांव/तिथि-वार ब्यौरा क्या-क्या है;
(ख) इन परियोजनाओं के शुरू होने के साथ वर्ष 2014 के बाद से अब तक कितने शौचालय निर्मित किए गए हैं तथा इनमें कितनी निधियां खर्च की गई हैं, तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/खंड/ग्राम/तिथि-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) किसी गांव को खुले में शौच मुक्त घोषित करने के मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(घ) किसी गांव को खुले में शौच मुक्त घोषित करने के लिए अंतिम मंजूरी दिए जाने से संबंधित ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने खुले में शौच मुक्त करने के संबंध में कोई रिपोर्ट जारी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के अंतर्गत दिनांक 20.12.2018 की स्थिति के अनुसार 5,37,038 गांवों, 5774 ब्लॉकों और 567 जिलों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** पर है।

(ख) एसबीएम (जी) के अंतर्गत दिनांक 2.10.2014 से 20.12.2018 तक 8,99,15,014 वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं। निर्मित आईएचएचएल की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और जारी केन्द्रीय अंशदान की राशि **अनुलग्नक-II** पर दी गई है।

(ग) एसबीएम (जी) दिशा-निर्देशों के अनुसार, ओडीएफ का अर्थ है मल-मौखिक संचारण पर रोक, जिसे निम्न द्वारा परिभाषित किया गया है (क) वातावरण/गांव में किसी प्रकार का मल दिखाई न देना और (ख) प्रत्येक परिवार और साथ ही साथ सार्वजनिक/सामुदायिक संगठन (संगठनों) द्वारा मल के निपटान हेतु सुरक्षित प्रौद्योगिकी विकल्प का उपयोग।

(घ) एसबीएम (जी) दिशा-निर्देशों के अनुसार गांव तथा जिले स्व-घोषिणा की सुदृढ़ प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित करते हैं और उसके बाद जिलों तथा राज्यों द्वारा बहु-स्तरीय विकेन्द्रित सत्यापन प्रक्रिया चलाई जाती है।

(ङ.) ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ पर भारतीय गुणवत्ता परिषद से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

अनुलग्नक -1

दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1466 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

दिनांक 20.12.2018 की स्थिति के अनुसार ओडीएफ घोषित जिलों, ब्लॉकों और गांवों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**ओडीएफ घोषित जिले**	**ओडीएफ घोषित ब्लॉक**	**ओडीएफ घोषित गांव**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	7	192
2	आंध्र प्रदेश	13	661	18841
3	अरूणाचल प्रदेश	20	109	5389
4	असम	24	204	22189
5	बिहार	5	136	16950
6	चण्डीगढ़	1	1	13
7	छत्तीसगढ़	27	146	18769
8	दादरा और नगर हवेली	1	1	69
9	दमन एवं दीव समूह	2	2	26
10	गोवा	0	0	22
11	गुजरात	33	247	18261
12	हरियाणा	22	140	6908
13	हिमाचल प्रदेश	12	77	15921
14	जम्मू एवं कश्मीर	22	316	7565
15	झारखण्ड	23	263	29564
16	कर्नाटक	27	175	26931
17	केरल	14	152	2027
18	लक्षद्वीप	1	9	9
19	मध्य प्रदेश	51	313	50228
20	महाराष्ट्र	34	350	40500
21	मणिपुर	16	44	2556
22	मेघालय	11	39	6028
23	मिजोरम	8	26	695
24	नागालैंड	11	74	1451
25	ओडिशा	3	48	17921
26	पुडुचेरी	2	3	265
27	पंजाब	22	147	13726
28	राजस्थान	33	295	42869
29	सिक्किम	4	32	441
30	तमिलनाडु	31	385	12524
31	तेलंगाना	14	210	6887
32	त्रिपुरा	0	28	732
33	उत्तर प्रदेश	50	757	97502
34	उत्तराखण्ड	13	95	15473
35	पश्चिम बंगाल	14	282	37594
	कुल	**567**	**5,774**	**5,37,038**

अनुलग्नक -2

दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1466 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

एसबीएम (जी) के अंतर्गत दिनांक 2.10.2014 से 20.12.2018 तक निर्मित आईएचएचएल की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और जारी केन्द्रीय अंशदान की राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मित आईएचएचएल	जारी केन्द्रीय अंशदान की राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	18535	37.12
2	आंध्र प्रदेश	3807367	2416.81
3	अरूणाचल प्रदेश	114828	271.15
4	असम	3177163	2573.59
5	बिहार	9743089	3278.12
6	छत्तीसगढ़	3307460	1649.90
7	दादरा और नगर हवेली	18758	17.68
8	दमन एवं दीव समूह	1600	2.00
9	गोवा	28637	1.57
10	गुजरात	3175863	1726.87
11	हरियाणा	633610	214.15
12	हिमाचल प्रदेश	172734	220.12
13	जम्मू एवं कश्मीर	1077076	610.34
14	झारखण्ड	3344395	1650.98
15	कर्नाटक	4191328	2327.94
16	केरल	226602	310.58
17	मध्य प्रदेश	6288078	3402.59
18	महाराष्ट्र	5536074	3835.95
19	मणिपुर	243211	195.20
20	मेघालय	209357	265.24
21	मिजोरम	33988	65.53
22	नागालैंड	130781	146.36
23	ओडिशा	5096976	3005.27
24	पुडुचेरी	28002	52.25
25	पंजाब	300297	504.40
26	राजस्थान	7642969	3284.86
27	सिक्किम	4514	31.83
28	तमिलनाडु	4717339	1912.66
29	तेलंगाना	2804501	1309.34
30	त्रिपुरा	282481	173.48
31	उत्तर प्रदेश	17059261	11602.02
32	उत्तराखण्ड	478484	561.82
33	पश्चिम बंगाल	6019656	2204.80
	कुल	**8,99,15,014**	**49,862.50**